

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या  
213/2025

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक  
25.04.2025

निर्णय दिनांक  
05.04.2025

1. अशोक कुमार पुत्र श्री बापू लाल महाजन आयु वयस्क निवासी- भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. प्रेमचन्द पुत्र श्री बापू लाल महाजन आयु वयस्क निवासी भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

— प्रार्थीगण

बनाम

1. भोलूराम पुत्र श्री दीपचन्द कोली, निवासी- भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. चांदमल पुत्र श्री कनीराम खटीक निवासी- भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)।

— विपक्षीगण

उपस्थित:- अधिवक्ता प्रार्थी श्री पृथ्वीराज चौधरी उपस्थित।  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित नहीं


—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर०एल०आर एक्ट :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हरणीकला पटवार हल्का हरणीकला भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में दर्ज है प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारों की कृषि भूमि स्थित आराजी संख्या 1838/361, रकबा 0.2403 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम हरणीकला पटवार हल्का हरणीकला भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा मे दर्ज है प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकारो की कृषि भूमि स्थित आराजी संख्या 1838/361 रकबा 0.2403 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05-06-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)

उपरखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा